

पत्रांक 03/04/2006  
विभाग, शिक्षा  
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषण,

दशरथ राम  
विशेष निदेशक (मा0 शि0)

सेवा में,

अध्यक्ष  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कामसुमिनी रोड,  
नई दिल्ली-110092

पटना, विभांक

विषय : दिल्ली पब्लिक स्कूल, लगगा, सीतामढ़ी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकार की अधिनियम संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में शिक्षा पदाधिपति, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपरोक्त किये जाये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल, लगगा, सीतामढ़ी को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से समकालता प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षावस्तु स्थिति निम्नवत है :-

1. इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का योगदान गना है तथा समष्टि पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निर्दिष्ट सोसाइटी/न्यास के फेन्दाईजी अर्थात् किसी विद्यालय के ड्राउट नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय जो वर्तमान में अपने नवनिर्मित भवन में संचालित है, जहां 03 एकड 01 डि0 भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपरका पुरतकाल एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समस्त पत्रों में विश्वापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वास्तविकता बननी गई हो। विद्यालय में 19 शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ा जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक परीक्षा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष तैयार करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय के आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करके सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

विद्यालय के द्वारा लिखित रूप में सुनिश्चित किया गया है कि सरकार की अधिनियम संख्या-238 दिनांक 03.04.2006 के अन्तर्गत उपरोक्त किये जाये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

Attested  
B. Singh

Principal  
Delhi Public School  
Lagma, Sitamarhi

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

(i) विद्यालय में श्रमता ज्ञ 25 प्रतिशत नामांकन फलस में निवारण करने वाले परिवार के बच्चों का निः शुल्क किया जायेगा तथा उनस द्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रूपया प्रतिवर्ष होने को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के बरतम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से अवसर की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन दूरी अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक होनी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 90 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी ए० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जांच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सतर्कता से अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्यक् रद्द करने की कार्यवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46 दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों का शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण के लिए किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा धरित शर्तों के आधार पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, लगमा, सीतामढ़ी को सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्यक्, हेतु अनापत्ति प्रमाण दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

*Attested*  
*[Signature]*

Principal  
Delhi Public School  
Lagma, Sitamarhi

विश्वासभाजन

(प्रशास्य राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

पत्रांक 125

दिनांक 04.02.11

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी को उनके पत्रांक 173 दिनांक 27.01.2011 के प्रथम से सूचनार्थ एक आभारपत्र का माध्यम से भेजा

पत्रांक 125

दिनांक 04.02.11

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपि प्रान्तिय दिल्ली पब्लिक स्कूल, लगमा, सीतामढ़ी को भेजा

*[Signature]*